

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/420/

जबलपुर, दिनांक 01/02/2020

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में निम्नांकित तालिका अनुसार चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश का उपभोग करने एवं कारण बताओ नोटिस में दिये गये निर्देशानुसार स्पष्टीकरण/चिकित्सीय दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण कॉलम नम्बर 3 में उल्लेखित दिनाकों का अवैतनिक स्वीकृत किया गया है।

क्र.	नाम एवं पद	अवैतनिक दिनांक
1	2	3
1	श्री कुमार गौरव शर्मा, कोर्ट अटेंडेन्ट	दिनांक 20.11.19 एक दिन
2	श्री लाल बहादुर थापा, कोर्ट अटेंडेन्ट	दिनांक 06 से 08.12.19 तक तीन दिन
3	श्रीमती ममता दास, कोर्ट अटेंडेन्ट	दिनांक 09.12.19 एक दिन
4	श्री शिव नारायण बलोटिया, कोर्ट अटेंडेन्ट	दिनांक 09, 10 एवं 16.12.19 तीन दिन


सही/-
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक C/421/

जबलपुर, दिनांक 01/02/2020

प्रतिलिपि :-

- ✓ चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
- असि रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
- ए.ओ. (जे) लेखा/पेशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
- सहायक सेवापुरस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
- दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- श्री कुमार गौरव शर्मा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- श्री लाल बहादुर थापा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- श्री ममता दास, कोर्ट अटेंडेन्ट, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- श्री शिव नारायण बलोटिया, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(किशोर पिठवे)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)